# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 214/2016

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

श्री बरदीशंकर पिता मांगीलाल मु. नारायण धाकड जाति धाकड उम्र 65 वर्ष निवासी बिशनियां तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान) **प्रार्थी**

**बनाम**

1. भुरा पिता छगना धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
2. रामरतन पिता उंकारधाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
3. सांवरा पिता हरनाथ धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
4. नन्दा पिता हरनाथ धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
5. लादु पिता नाना धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
6. मोती पिता रामकिशन धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
7. सोहन पिता कनीराम धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान) **विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

**–:: आदेश ::–**

दिनांक 15/03/17

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 18/07/16 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम – बिशनियां, पटवार हल्का – बिशनियां, भू.अ.नि.क्षैत्र पारोली, तहसील– कोटडी, जिला–भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की आराजी सं. 803 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी सं. 1036 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी सं. 1450 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी सं. 1034 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल कीता 4 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक पारोली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

**–:: आदेश ::–**

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके **ग्राम – बिशनियां, पटवार हल्का – बिशनियां, भू.अ.नि.क्षैत्र पारोली, तहसील– कोटडी, जिला–भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की आराजी सं. 803 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी सं. 1036 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी सं. 1450 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी सं. 1034 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल कीता 4 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा** भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 500 रूपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात दिन में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
प्रतिलिपि :– तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात दिन में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा